उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग-2

संख्या-223/2024/आई/723576/001-41-1002-001-17-2023-CN-1689266

लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2024

संख्या-216/2024/आई/721291/001-41-1002-001-17-2023-CN-1689266 दिनांक 20.08.2024

का शुद्धि पत्र

जनपद वाराणसी में गंगा नदी के दायें तट ग्राम-डोमरी स्थित सतुआ बाबा आश्रम में यात्री सुविधा केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-216/2024/आई/721291/001-41-1002-001-17-2023-CN-1689266 दिनांक 20.08.2024 के प्रस्तर-3 में तृतीय किश्त के स्थान पर टंकण त्रुटिवश द्वितीय किश्त अंकित हो गया है।

2. अत: शासनादेश संख्या-216/2024/आई/721291/001-41-1002-001-17-2023-CN-1689266 दिनांक 20.08.2024 के प्रस्तर-3 में टंकण त्रुटिवश अंकित द्वितीय किश्त को तृतीय किश्त ही पढ़ा एवं समझा जाय।

तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 20.08.2024 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यू0पी0पी0सी0एल0), इकाई-3, वाराणसी।
10- उप निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
11- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in